संख्या-सम्ब0-621/सत्तर-2-2010-2(621)/2010

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 11 नवम्बर, 2010

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/2648, दिनांक 01-10-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेण्ट, शाहपुर जट, फतेहपुर, कुचेसर चौपला, बाबूगढ़ छावनी, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

(2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

..2/-

(5) यह आदेश रिट याचिका संख्या-8848/2010 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेण्ट, गाजियाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 09-09-2010 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-621(1)/सत्तर-2-2010-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अवमाननावाद संख्या-2403(सी)/2010 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेण्ट, गाजियाबाद बनाम श्री मनोज कुमार एवं अन्य में निर्धारित तिथि दिनांक 12-11-2010 को अनुपालन की स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

(5) सचिव/प्रबन्धक, इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेण्ट, शाहपुर जट, फतेहपुर, कुचेसर चौपला, बाबूगढ़ छावनी, गाजियाबाद।

(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।